

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

वाणिज्य स्कन्ध

शक्ति भवन विस्तार, चतुर्थ तल

14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 2470-पीसीएल/सीयू-दो/रूग्ण

दिनांक: अगस्त 31, 2000

विषय : बी०आई०एफ०आर० में सन्दर्भित रूग्ण इकाईयों के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य महाप्रबन्धक (वितरण), अंचल,
मुख्य महाप्रबन्धक, केसा/लेसा, कानपुर/लखनऊ,
समस्त महाप्रबन्धक (क्षेत्र),
उप महाप्रबन्धक, विद्युत नगरीय वितरण, मण्डल, नोयडा,
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०,

रूग्ण इकाईयों के पुनर्वासन के सम्बन्ध में पावर कारपोरेशन लि० के निदेशकमण्डल की दिनांक 2.8.2000 को सम्पन्न बैठक में निर्णय लिया गया है कि बी०आई०एफ०आर० द्वारा पुनर्वासित रूग्ण इकाईयों को रूग्णता की अवधि में डिमाण्ड चार्जेज एवं एम०सी०जी०/मिनिमम चार्जेज की शर्त को लघु एवं लघुत्तर श्रेणी के उद्योगों के समान शिथिल किया जाये। यह छूट पुनर्वासन पैकेज का अंश होने पर व बी०आई०एफ०आर० द्वारा इसकी स्वीकृति पर ही अनुमन्य होगी। रूग्ण उद्योगों के पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों का पुनः संयोजन अथवा उसी परिसर में नये कनेक्शन का अवमुक्त किया जाना व उपरोक्त सुविधाएं तभी अनुमन्य की जायेंगी जब पुनर्वासन पैकेज का भाग हो, अन्यथा की स्थिति में देयों की शतप्रतिशत वसूली प्राप्त होने पर ही पुनर्संयोजन अथवा नया संयोजन अवमुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश जारी होने की तिथि के पश्चात् स्वीकृत पुनर्वासन पैकेज के लिये ही अनुमन्य होंगे।

(एम०एस० रिजवी)

मुख्य महाप्रबन्धक (वाणिज्य)

पृ०सं० : 2470-पीसीएल/सीयू-दो / तद्दिनांक

31.8.2000

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त उप महाप्रबन्धक, विद्युत वितरण मण्डल/विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड/विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(एम०एस० रिजवी)

मुख्य महाप्रबन्धक (वाणिज्य)